सप्तदश माला, खंड 12, अंक 9

शुक्रवार, 30 जुलाई, 2021
8 श्रावण, 1943 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 12 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

बसन्त प्रसाद
संयुक्त निदेशक

अभिषेक
सम्पादक

© 2021 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि, हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 12, छठा सत्र, 2021 / 1943 (शक)
अंक 9, शुक्रवार, 30 जुलाई, 2021 / 8 श्रावण, 1943 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
[1]**प्रश्नों के मौखिक उत्तर**	8-25
*तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 165	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	26
तारांकित प्रश्न संख्या 166 से 180	
अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 से 2070	

[1] किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 26-32

राज्य सभा से संदेश 33

कार्य मंत्रणा समिति
23वां प्रतिवेदन 34

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति 34
पहले से तीसरा प्रतिवेदन

मंत्री द्वारा वक्तव्य 36

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों (2021-22) पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 344वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

डॉ. जितेन्द्र सिंह

सभा का कार्य 36-37

सरकारी विधेयक- पुरःस्थापित

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग विधेयक, 2021 38

(2) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 40

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग अध्यादेश, 2021 के बारे में वक्तव्य 39

नियम 377 के अधीन मामले 45-61

(एक) राजस्थान के उदयपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में

श्री अर्जुन लाल मीणा 45

(दो) राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली से भगवान बुद्ध का 'अस्थि कलश' उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिला स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय, कपिलवस्तु में स्थानांतरित किए जाने तथा बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए कपिलवस्तु में एक ध्यान केन्द्र भी बनाए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल 46

(तीन) राजस्थान स्थित आंगनवाड़ी केन्द्रों में 'चना' की आपूर्ति के बारे में

श्री रामचरण बोहरा 48

(चार) ओडिशा के बालासोर में खारा जल शोधन संयंत्र स्थापित किए जाने के बारे में

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी 49

(पाँच) मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के मलाजखण्ड में स्थापित सी.ओ.टी. प्लांट का प्रचालन प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता

डॉ. ढाल सिंह बिसेन 50

(छह) दिल्ली की कुछ कॉलोनियों को गिराए जाने के खतरे के बारे में

श्री रमेश बिधूड़ी 51

(सात) अम्बाला को भांडागारण केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने के बारे में

श्री रतन लाल कटारिया 53

(आठ) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद से छत्तीसगढ़ के बस्तर में अंतरित किए जाने की आवश्यकता

श्री दीपक बैज 55

(नौ) केरल के अट्टापडी, पालक्कड जिले में ऑनलाइन कक्षाओं के प्रयोजनार्थ एफ.टी.टी.एच. कनेक्शन का प्रावधान किए जाने के बारे में

श्री वी के श्रीकंदन 56

(दस) टिंडीवनम-तिरुवन्नामलाई नई बड़ी रेल लाइन परियोजना कार्य में तेजी लाए जाने के बारे में

श्री सी.एन. अन्नादुरई 57

(ग्यारह) खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) और आन्ध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के बीच डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर (डी.एफ.सी.) का निर्माण किए जाने के बारे में

श्रीमती चिंता अनुराधा 58

(बारह) आंगनवाड़ी कर्मकारों की स्थिति में सुधार लाए जाने के बारे में

श्री भर्तृहरि महताब 60

(तेरह) उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवा के बारे में

श्री रामशिरोमणि वर्मा 61

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रोफेसर) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, 30 जुलाई, 2021 / 8 श्रावण, 1943 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मेरी एक छोटी-सी बात है, पर माइक ऑन नहीं है।

सर, शुरू के दिन से ही हम विपक्ष की तरफ से यह मांग करते आ रहे हैं कि सदन के अन्दर पेगासस जासूसी कांड की चर्चा हो।… (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: नहीं।

… (*व्यवधान*)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, उसी के साथ-साथ किसान का मुद्दा है, कोविड-19 का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है।… (व्यवधान) इसमें कोई असुविधा नहीं है।… (व्यवधान) हम सदन में चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार को इस तरह के अपने रुख को बदलना चाहिए।… (व्यवधान) सदन में हम चर्चा चाहते हैं।… (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आप इसे प्रश्न काल के बाद उठा सकते हैं।

… (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

इस समय, सुश्री महुआ मोइत्रा, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

[2]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न सं. 161, डॉ. आलोक कुमार सुमन।

(प्रश्न 161)

[हिन्दी]

डॉ. आलोक कुमार सुमन : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा महिलाओं एवं बच्चियों की संरक्षा, सुरक्षा एवं सशक्तीकरण के लिए जमीनी स्तर पर अनेक प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं।... (व्यवधान) इसका लाभ हमारे गोपालगंज जिले को और पूरे बिहार राज्य को मिल रहा है।... (व्यवधान)

मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि प्रधान मंत्री महिला शक्ति केन्द्र स्कीम के तहत बिहार राज्य को वित्तीय वर्ष 2018-19 में 25.83 लाख रुपये एवं वर्ष 2019-20 में 48.62 लाख रुपये एवं

---

[2] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

वर्ष 2020-21 में शून्य सहायता दी गई।... (व्यवधान) वर्ष 2020-21 में जो शून्य सहायता दी गई है, इसका क्या कारण है?... (व्यवधान)

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूं कि स्टेट का शेयर तभी जाता है, जब भारत सरकार के पास यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट्स आते हैं, किन्तु साथ ही, जैसा कि जवाब में इंगित है, इस स्कीम को इस वित्तीय वर्ष में समाप्त कर आपकी ही उपस्थिति में माननीय प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे बजट में हमारी वित्त मंत्री जी ने 'मिशन शक्ति' को प्रेषित किया है।... (व्यवधान) इसके अन्तर्गत महिला सशक्तीकरण के कार्यक्रम राष्ट्र भर में प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय में चलाए जाएंगे।... (व्यवधान) महिला शक्ति केन्द्र से उत्पन्न हुई चुनौतियों का समाधान इस 'मिशन शक्ति' के अन्तर्गत हम करना चाहेंगे।... (व्यवधान)

महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सांसद जी को अवगत कराना चाहती हूं कि बिहार में जिस कार्यक्रम का वे उल्लेख कर रहे हैं, उनमें से उत्तीर्ण कार्यक्रम 'जीविका' का है।... (व्यवधान) यह एक पूरा कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करते हैं।... (व्यवधान) मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को विशेष अभिनन्दन देती हूं कि बीस लाख रुपये तक के कोलैट्रल-फ्री लोन्स के माध्यम से, देश के 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से राष्ट्र भर में सात करोड़ महिलाओं को समर्थन देने का कार्य मोदी सरकार ने किया है, जिसमें बिहार राज्य भी सम्मिलित है।... (व्यवधान)

डॉ. आलोक कुमार सुमन : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में प्रधान मंत्री महिला शक्ति केन्द्र स्कीम के तहत 'मिशन पोषण 2.0' से कितनी बालिकाएं, महिलाएं एवं गर्भवती महिलाएं व ग्रामीण महिलाओं को जीने की आवश्यकता को पूरा किया गया है?... (व्यवधान) डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस या

सेन्टर्स द्वारा नारी अदालत क्या रोल निभा रहा है जबकि पूरे देश में 22.9 प्रतिशत महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं?... (व्यवधान)

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद का प्रश्न महिला सशक्तिकरण, सेल्फ हेल्प ग्रुप और महिला शक्ति केन्द्र के बारे में है।... (व्यवधान) साथ ही उन्होंने नारी अदालत और पोषण-2 के संदर्भ में भी सवाल पूछा है। पोषण-2 हाल ही के बजट में प्रनाउन्स हुआ है, जिसके अंतर्गत बिहार और राष्ट्र भर के हर जिले में आँगनबाड़ी के माध्यम से हर गर्भवती, लैक्टेटिंग महिला और साथ ही बच्चों की न्यूट्रिशियन सपोर्ट की व्यवस्था की गई है।... (व्यवधान) इसमें माननीय सांसद के क्षेत्र की हर बहन उसके लिए लाभार्थी बनी हैं और चिन्हित भी हुई हैं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, आपके दिशा-निर्देश के अनुसार विशेषकर 'दिशा' की मीटिंग में सभी सांसदों से आग्रह किया गया है कि वे अपने क्षेत्र में पोषण अभियान के अंतर्गत किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं।... (व्यवधान) अगर कोई चुनौती है, उसके समाधान के लिए यदि भारत सरकार की मदद की जरुरत है अथवा किसी और सहयोग की जरुरत है तो वह सहयोग देने के लिए हम सब समर्पित हैं।... (व्यवधान)

महोदय, जहाँ तक सांसद महोदय ने नारी अदालत का विषय पूछा है, वह भी मिशन शक्ति का ही एक अभिन्न अंग बनेगा।... (व्यवधान) मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरेन रिजीजू जी ने भी अपना समर्थन इस विषय को दिया है।... (व्यवधान)

श्रीमती नवनित रवि राणा : महोदय, भारत सरकार की गाइडलाइन जो 13 जून, 2021 को जारी की गई थी, जिसका गज़ट नोटिफिकेशन जुलाई में निकला है।... (व्यवधान) उस गाइडलाइंस का पालन सभी राज्य सरकार नहीं कर रही हैं। कृपया मंत्री जी यह बताए कि कौन-कौन से राज्य इन गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और कौन-कौन से राज्य सरकार इन गाइडलाइंस का पालन नहीं कर

रहे हैं? … (व्यवधान) अगर इन गाइडलाइंस का पालन राज्य सरकार नहीं कर रही है तो उन राज्य सरकारों के ऊपर, हमारे केन्द्र सरकार की जो 50 फीसदी हिस्सेदारी है, उन राज्य सरकारों के ऊपर हम क्या कार्रवाई करेंगे? … (व्यवधान)

महोदय, इसके साथ ही कोरोना के पीरियड में जो महिलाएं अकेली रह गई हैं, जिनका पालन करने वाले ऐसे पुरुष अब नहीं रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? … (व्यवधान) ऐसे बच्चों के लिए जो कोरोना के इस पीरियड में अनाथ हो गए हैं, क्या उनके लिए सरकार की तरफ से कोई योजना आ रही है? … (व्यवधान)

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : महोदय, मैं प्रफुल्लित हूँ कि सांसद महोदया ने यह प्रश्न किया। ... (व्यवधान) चूंकि यह प्रश्न महिला शक्ति केन्द्र का था, लेकिन उन्होंने पूरे मंत्रालय के बारे में विस्तृत जानकारी माँग डाली है।… (व्यवधान)

महोदय, यह विषय गाइडलाइन का है, लेकिन यह गाइडलाइन जून में नहीं, बल्कि 13 जनवरी, 2021 को प्रेषित की गई थी।… (व्यवधान) हमने इन गाइडलाइंस के अंतर्गत सभी राज्य सरकारों को पोषण, आईसीडीएस और आँगनबाड़ी के संदर्भ में आग्रह किया कि आप जीएफआर रूल्स, विजिलेन्स रूल्स और गाइडलाइंस के अंतर्गत पौष्टिक आहार का वितरण करें, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, स्टैण्डर्डस का इस्तेमाल हो, एफएसएसएआई के लैब से हमारे खाने की टेस्टिंग हो।… (व्यवधान) हमने एक सुदृढ़ व्यवस्था बनाने के लिए राज्यों को केन्द्र सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया है।… (व्यवधान) राज्य सरकारों के साथ सतत हम इस चर्चा में रहे हैं कि किस प्रकार से वे अपने डिस्ट्रिक्ट में न्यूट्रिशनल कमेटी बनाएं और उनके अंतर्गत काम करें।… (व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में हर सांसद से आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर उनके जिले में 13 जनवरी, 2021 की गाइडलाइन के अंतर्गत काम नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से वे मेरे विभाग को सूचित करें, ताकि हम वह विषय संबंधित राज्य सरकार के साथ उठा सकें।... (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तार से अपने मंत्रालय के बारे में जानकारी दी है।... (व्यवधान) मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इस 'मिशन शक्ति केन्द्र' के माध्यम से 20 लाख रुपये तक के कोलैटरल लोन्स महिलाओं को एम्पावर्ड करने के लिए किया है।... (व्यवधान) करीब 66 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके लिए भी 7 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। निश्चित रूप से मैं सबसे पहले इस कदम के लिए अपनी केन्द्र सरकार को बधाई देता हूँ।... (व्यवधान) जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पोषण-2 के बारे में भी हम लोग 'दिशा' कमेटी की बात करेंगे।... (व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आठ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं,... (व्यवधान) उन आठ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में अब महिला मिशन शक्ति केन्द्र स्थापित हुए हैं। उन आठ ब्लॉक्स में सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती हैं। इन केन्द्रों को मिशन-2 के साथ और इनमें कौन-से कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : महोदय, माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न किया है, उसमें इन्होंने निश्चित रूप से लिमिटेड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की जानकारी माँगी है।... (व्यवधान) महिला शक्ति केन्द्र की स्कीम को डिस्कन्टिन्यू करने के पीछे एक कारण यह भी था कि इसकी एक जियोग्रैफिकल लिमिटेशन थी।

हमारा यह संकल्प है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए भारत सरकार देश के हर जिले में अपना कार्यक्रम चलाये।... (व्यवधान) इसके लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत हम हर जिले के प्रशासन को जो-जो हैंड्स ऑन डेब्ट चाहिए, चाहे वह टेक्निकल लोन हो, चाहे वह एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज़ हों, ये सारे रिसोर्सेज़ उपलब्ध कराने की मंशा रखते हैं।... (व्यवधान)

महोदय, यह भी कहना उचित होगा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण मात्र मेरे मंत्रालय तक सीमित नहीं है। आपकी अनुमति से, मैं यह कहना चाहूंगी कि आज उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जगदम्बिका पाल जी ने जो प्रश्न किया, आपकी जो कमेटीज़ फंक्शनल होनीं चाहिए, वे हर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में फंक्शनल हैं।... (व्यवधान) भारत सरकार ने अब तक जन-धन योजना के माध्यम से राष्ट्र के इतिहास में पहली बार 22 करोड़ 80 लाख महिलाओं का बैंक खाता खोला। आर्थिक सशक्तीकरण की दृष्टि से वह एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहल रही।... (व्यवधान) स्टैंड अप इण्डिया में एक करोड़ रुपये तक का लोन मिलता है, उसमें भारत सरकार ने जब विशेष महिलाओं की बात की, तो 81 प्रतिशत लोन्स 'स्टैंड अप इण्डिया' में महिलाओं को गए।... (व्यवधान)

मुद्रा योजना का जो एक ऐतिहासिक निर्णय प्रधान मंत्री जी ने लिया, उसके माध्यम से देश में 17 करोड़ 60 लाख बहनों को मुद्रा योजना का लाभ मिला। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूं कि 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 20 लाख रुपये तक का कोलैटरल फ्री लोन देने का काम मोदी सरकार ने किया।... (व्यवधान)

स्पीकर साहब, आप बार-बार इस बात का उल्लेख करते रहे हैं कि मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़े।... (व्यवधान) यही मंशा माननीय प्रधान मंत्री जी की रही है। वर्ष 2019-20 में मनरेगा में 104 करोड़ पर्सन डेज़ से ज्यादा का काम मात्र और मात्र देश की महिलाओं ने किया।... (व्यवधान)

महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण मोदी सरकार का एक सामूहिक संकल्प है, जिसमें हर विभाग, हर मंत्रालय अपनी अहम भूमिका निभा रहा है।... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, मैं यह बोलना चाहता हूं, फिर से अपील करना चाहता हूं।... (व्यवधान) आईटी मिनिस्टर, श्री अश्वनी वैष्णव जी ने दोनों हाउस में डिटेल स्टेटमेंट दिया है।... (व्यवधान) नॉन-इश्यू को इश्यू बनाकर दुर्भाग्यपूर्ण रूप से 7-8 दिन से संसद नहीं चल रही है। **[अनुवाद]** अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कई अन्य लोगों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। **[हिन्दी]** जनता से जो सम्बन्धित विषय हैं, बीएसी में जो तय होता है, उस पर भारत सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है।... (व्यवधान) बिल भी बहुत इंपोर्टेंट है। सरकार भी यह नहीं चाहती है कि बिना चर्चा वह पारित हो जाए। सरकार का मत बहुत स्पष्ट है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

हम बिना चर्चा के विधेयक को पारित नहीं करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ऐसे कई मुद्दे हैं जो सीधे भारत के गरीब लोगों से संबंधित हैं। उन्हें मुद्दे उठाने दीजिए और सुझाव देने दीजिए। ... (*व्यवधान*)

सरकार चर्चा के लिए तैयार है लेकिन दुर्भाग्य से, वे संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। 350 से अधिक सदस्य प्रश्न काल जारी रखना चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके बावजूद वे इस तरह का आचरण करते हैं। ... (*व्यवधान*)

मैं एक बार फिर आपसे अपील करता हूं। जैसा कि हमने कार्य मंत्रणा समिति की पहली बैठक में तय किया था, आपके नेतृत्व, मार्गदर्शन और सुझावों के तहत सरकार चर्चा के लिए तैयार है। माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने विस्तृत वक्तव्य दिया है। यह किसी भी तरह से कोई मुद्दा या गंभीर मुद्दा नहीं है। कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें।.... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 162

श्री अदला प्रभाकर रेड्डी।

[अनुवाद]

(प्रश्न संख्या 162)

श्री अदला प्रभाकर रेड्डी: महोदय, क्या गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए आयुष-64 की सुरक्षा के संबंध में कोई परीक्षण या वैज्ञानिक अध्ययन चल रहा है? यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ? … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य गिरीश जी, यह गलत है। ऐसा नहीं करते हैं।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अदला प्रभाकर रेड्डी: महोदय, क्या सरकार की पारंपरिक दवाओं में ब्रिक्स कोऑपरेशन जैसे प्लेटफार्म के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष-64 को शुरु करने और बढ़ावा देने की कोई योजना है? यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है? … (*व्यवधान*)

श्री सर्वानंद सोनोवाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि विभाग इन सब पर वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन और शोध कर रहा है।..... (*व्यवधान*)

अब, यह पुष्टि की जाती है कि आयुष-64 सबसे महत्वपूर्ण दवाओं में से एक है जो मानव जीवन की रक्षा कर सकती है और यहां तक कि कोविड -19 महामारी के दौरान, जो भी प्रयोग पहले किए गए, उनसे यह सिद्ध हो चुका है कि यह मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है... (*व्यवधान*)

श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। (*व्यवधान*) यह मेरा अनुपूरक प्रश्न है। .... (*व्यवधान*) मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि आयुष-64 विनिर्मिति के उपयोग ने जल्द स्वस्थ होने और अस्पताल में रहने की अवधि को कम कर दिया है । यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है? ... (*व्यवधान*)

मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि आयुष-64 के उत्पादन और वितरण में अभी भी बाधाएं हैं। … (*व्यवधान*)

श्री सर्वानंद सोनोवाल: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब यह साबित हो गया है कि हल्के और मध्यम लक्षण वाले कोरोना वायरस से पीड़ित और बिना लक्षण वाले व्यक्तियों , जिन्होंने भी इस विशेष आयुष-

64 औषध का सेवन किया है, उन्हें राहत मिली है। (*व्यवधान*) तो, यह पहले से ही वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है।... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 163

श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

(प्रश्न संख्या 163)

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी: महोदय, मैं आपके के माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा ... (*व्यवधान*) जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भूमि के अपरदन का जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और अध्ययनों से पता चला है कि हम भूमि के इस अपरदन के कारण हर वर्ष वैश्विक स्तर पर लगभग 24,000 प्रजातियों को खो देते हैं।.. (*व्यवधान*)

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने हर साल हमारे द्वारा खोई जा रही जैव विविध प्रजातियों की संख्या निर्धारित करने के लिए कोई शोध अथवा अध्ययन किया है?... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के स्पेस अप्लीकेशन सेंटर द्वारा इस विषय का अध्ययन किया जाता है। ...

(व्यवधान) एक तरह से यह अनुमान किया गया है कि 96 मिलियन हेक्टेयर जमीन, भूमि क्षरण और रेगिस्तानीकरण के कारण उत्पादक क्षमता प्रभावित हुई है। ... (व्यवधान) इस समस्या का सबसे बड़ा कारण भूमि की उत्पादकता में कमी, वॉटर इरोजन, वॉटर लॉगिंग और इसके साथ-साथ भूमि का खारापन भी है।

भारत सरकार ने वर्ष 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में इस बात को तय किया था कि देश में 26 मिलियन हेक्टेयर जमीन को वर्ष 2030 तक सुधारेंगे। ... (व्यवधान) इसे लेकर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की एक अंतर-मंत्रालयी सचिवों की एक समिति बनाई गई है और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इसके लिए कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सदस्य महोदय ने स्पेसिफिक पूछा है कि क्या-क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, ग्रीन इंडिया मिशन, कम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, नेशनल एडॉप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज किए और चलाए जा रहे हैं। इसके साथ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ग्रीन रेवोल्यूशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टनैबल एग्रीकल्चर, उसके साथ ही जलशक्ति मंत्रालय द्वारा अटल भूजल योजना, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोग्राम, पीएमकेएसवाई कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वॉटर मैनेजमेंट प्रोग्राम और फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ... (व्यवधान)

इसके अतिरिक्त रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा पीएमकेएसवाई इंटीग्रेटिड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ द्वारा द नेशनल लाइवस्टॉक मिशन प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा अटल मिशन एंड रिज्युविनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट मिशन प्रोग्राम, स्मार्ट सिटी

मिशन और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा द ग्रीन हाईवे पॉलिसी, इन सबकी समन्वित सचिवों की बैठक भी हुई है। पिछली बार भी बैठक हो चुकी है और समन्वित रूप से सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि वर्ष 2030 तक 26 लाख मिलियन हेक्टेयर जमीन को डिग्रेडेशन से बचाया जाएगा। इसके लिए समन्वित रूप से कार्य हो रहा है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी : महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि मंत्री जी अपरदित भूमि की रक्षा करने के बारे में बात कर रहे हैं। ... (*व्यवधान*) मैं जैव-प्रजातियों के नष्ट होने की बात कर रहा हूँ। ... (*व्यवधान*) मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं कि क्या कोई अध्ययन हुआ है जिसने भूमि के अपरदन के कारण जैव-प्रजाति के नुकसान का आकलन किया है। ... (*व्यवधान*) मंत्री जी जितनी भी योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, वह हैं अंत:स्थलीय संरक्षण के लिए, जबकि मैं आर्द्रभूमि की बात कर रहा हूँ। ... (*व्यवधान*) ये आर्द्रभूमि कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती हैं। ... (*व्यवधान*) इसलिए, मैं जानना चाहता हूँ कि देश में आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। ... (*व्यवधान*)

महोदय, मेरे पिछले प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया गया है। ... (*व्यवधान*) मैंने देश में जैव-प्रजातियों के नुकसान के बारे में पूछा था। क्या कोई अध्ययन है जिसने इसका आकलन किया है? ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय अध्यक्ष जी, यह सच है कि जब किसी भी भूमि का डिग्रेडेशन होता है तो निश्चित रूप से वहां पर जैव विविधता वाली जैव प्रजातियां भी समाप्त होती हैं। जमीन के लिए विभिन्न स्कीम्स के अंतर्गत हम प्रोग्राम कर रहे हैं, व उसकी उर्वर क्षमता और उसकी जैव विविध प्रजातियों के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। ... (व्यवधान) इसके अतिरिक्त भी मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के

जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जैव विविधता बचाने के लिए इस प्रकार की प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी कार्य किया जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट में भी सरकार कुछ विषयों पर विचार करके इसे पूरी तत्परता के साथ लागू कर रही है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री मलूक नागर, प्रश्न संख्या 164

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 164)

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी) :

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 165, डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा।

(प्रश्न संख्या 165)

डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, वाइटल ऑर्गन डोनेशन और वाइटल ऑर्गन ट्रांसप्लांट का बहुत ही महत्पूर्ण मैटर है। ... (व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं विपक्ष को भी कहना चाहूंगा, इसमें लोगों की बात है, आम आदमी की बात है, इसे ज़रा सुनें। ... (व्यवधान) पांच लाख के करीब लोगों को हर साल वाइटल ऑर्गन्स नहीं मिलते हैं इसलिए हर साल पांच लाख लोगों की डैथ हो जाती है।

इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम, लोगों को जागरूक करने का प्रोग्राम है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वाइटल ऑर्गन्स डोनेट करें। लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी मुहिम है, ऐसा प्रोग्राम है जो स्कूल के पाठ्यक्रम से शुरू हो जाए ताकि बच्चों को पता चल सके कि लाइफ की क्या इम्पॉर्टेंस है, वाइटल ऑर्गन्स डोनेशन की क्या इम्पॉर्टेंस है? स्कूल से लेकर कॉलेजों और इंस्टीट्यूशन्स में यह होना चाहिए। इसमें कई तरह के अंधविश्वास हैं, जब ऑर्गन्स के डोनेशन की बात आती है। मैं कहना चाहता हूं कि हर धर्म की धार्मिक संस्था, धार्मिक गुरू और धार्मिक सामाजिक संस्थाएं इससे जुड़कर लोगों को जागरूक करें।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या स्कूल के पाठ्यक्रमों में लोगों और बच्चों की अवेयरनेस के लिए इस प्रोग्राम को जोड़ेंगे?

श्री मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ... (व्यवधान) ऑर्गन डोनेशन का जो विषय है, वर्तमान समय में जिस तरह से मेडिकल साइंस आगे बढ़ रहा है, मेडिकल साइंस का उपयोग लोगों की जिन्दगी बचाने के लिए हो, उस दिशा में दुनिया में बहुत कुछ कार्य हुए हैं। इंडिया में भी उसके ऊपर कार्य चल रहा है। खासकर, हम

ऑर्गन के संदर्भ में बात करें, तो हमारे यहां किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन और पैंक्रियाज जैसे ऑर्गन्स को रिप्लेस करने के लिए और ये ऑर्गन्स लोगों को आसानी से मिल सके, इसके लिए, भारत सरकार की ओर से नेशनल ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चलाया जाता है। ... (व्यवधान) इस प्रोग्राम के अंतर्गत नेशनल और स्टेट लेवल पर अथॉरिटीज गठित की गई हैं, ऑर्गेनाइजेशन गठित किया गया है और रीजनल व्यवस्था भी की गई है। इसके माध्यम से व्यापक पब्लिक अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक वेबसाइट भी क्रिएट की गई है। इस वेबसाइट के माध्यम से जिनको ऑर्गन चाहिए वे उसमें एंट्री करते हैं और जो ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, वे भी इस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ... (व्यवधान) दुनिया के सापेक्ष में इंडिया में अभी आर्गन ट्रांसप्लांट का रेश्यो बहुत कम है। लेकिन वह बढ़े, उसके लिए भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है। उसके लिए एक टॉल फ्री नम्बर भी बनाया गया है। उसके लिए व्यापक तौर पर कई प्रकार के एनजीओज, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रयास करते हैं। जनता के बीच में व्यापक पब्लिक अवेयरनेस हो और उस अवेयरनेस का लाभ ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, जो जरूरतमंद व्यक्ति है, उसको मिले, इस दिशा में कोशिश की जा रही है। ... (व्यवधान)

डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो गरीब आदमी और बिलो पॉवर्टी लाइन है, वह इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। ... (व्यवधान) प्राइवेट इंस्टिट्यूशन्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसकी व्यवस्था के लिए, जैसे कोविड महामारी के सेकेंड फेज में हरियाणा में माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए एक रेट की गाइडलाइन्स तय कर दी थी। वह रेट लिस्ट रिस्पेशन पर लगाई गई थी। ... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो अनाप-शनाप रेट लेते हैं, कोई पांच लाख रुपये, कोई दस लाख रुपये, कोई पन्द्रह लाख रुपये और कोई बीस लाख रुपये, जो किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट और वाइटल ऑर्गेन्स के लिए लेते हैं, क्या माननीय

मंत्री जी ऐसा कुछ करेंगे, जिससे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के रेट्स तय हो जाएं? ... (व्यवधान) क्योंकि, गरीब आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने 'आयुष्मान योजना' और 'आरोग्य निधि' के अलावा कई ऐसी योजनाएं चलाईं, जो गरीब आदमी की पहुंच तक हैं। लेकिन, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इनके रेट्स तय होने चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से इसके बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। 'अंगदान, महादान' के लिए क्या कोई ऐसी मुहिम चलाएंगे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर भी लागू हो? ... (व्यवधान)

श्री मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल सही है कि अंगदान ही महादान है। अंगदान करना, अंगदान में सहयोगी होना बहुत अच्छी बात है। ऐसे गरीब लोग, जो ज्यादा खर्च वहन न कर सकते हों, उनको अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिले और उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो सके, ऐसी व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। ... (व्यवधान) इसलिए, कहीं भी यदि किडनी, लीवर या हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का ऑपरेशन होता है, उसमें प्रधान मंत्री राहत कोष से भी सहायता मिलती है। मैंने आयुष्मान भारत के बारे में बताया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 'प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत योजना' इतनी महत्वपूर्ण योजना है कि इसके माध्यम से देश की दस करोड़ फैमिलीज यानी पचास करोड़ लोगों को साल में पांच लाख रुपये तक मुफ्त ट्रीटमेंट और मुफ्त ऑपरेशन के लिए सहायता दी जाती है। यह एक बहुत बड़ी योजना है। हिन्दुस्तान में यह आदत नहीं रही है। अमेरिका में दस करोड़ लोगों के लिए एक योजना बनी थी, जो 'ओबामा केयर योजना' के नाम से जाती थी। वह पूरी दुनिया में पॉपुलर हुई थी। हमारी योजना उससे पांच गुना बड़ी है। इस योजना से गरीब लोगों को बहुत सुविधा और राहत मिल रही है। आज तक कई गरीब आदमी उस योजना का लाभ ले चुके हैं और भविष्य में भी लेते रहेंगे। इस तरह से देश के गरीब लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिले और ऑपरेशन की सुविधा मिले, उस दिशा में भारत सरकार कटिबद्धता से काम कर रही है।... (व्यवधान)

श्री एस. एस. अहलुवालिया: अध्यक्ष महोदय, जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था, तो उस वक्त सारे शस्त्र समाप्त हो गए थे। ... (व्यवधान) देवता लोग दधीचि ऋषि के पास मदद मांगने के लिए गए थे और उन्होंने ब्रह्मास्त्र बनाने के लिए उनसे उनका मेरुदंड दान में मांगा था, जिसे हमारी संस्कृति और सभ्यता में महादान माना गया है। ... (व्यवधान) हमारे यहां पर अंगदान के सारे प्रयोजन और प्राधिकार बने हुए हैं। ... (व्यवधान) किंतु अभी भी जब कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसके परिवार वाले उसका अंगदान करना चाहते हैं, लंग्स देना चाहते हैं, किडनी या आंख या हार्ट या फिर लीवर डोनेट करना चाहते हैं, तो उसको कम समय में सही जगह पहुंचाने की व्यवस्था के लिए ग्रीन कॉरिडोर और हेलीकॉप्टर सर्विस की जरूरत पड़ती है। ... (व्यवधान)

लेकिन अभी तक हमारे देश में उसके लिए ऐसी कोई भी हेलीकॉप्टर सर्विस नियुक्त नहीं हुई है। ... (व्यवधान) मैं समझता हूं कि इतने बड़े देश में ऐसी योजना को पूरा रूप देने के लिए, इसके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस विथ डॉक्टर एंड पैरामैडिक्स तैयार रहना चाहिए, जिसके माध्यम से उन चीजों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सके। ... (व्यवधान)

श्री मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब एक्सीडेंट होता है और उसमें कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। ... (व्यवधान) भारत सरकार की हाइवे मिनिस्ट्री के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जितने भी नेशनल हाइवेज़ हैं, अगर वहां कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो तुरंत ही दुर्घटनाग्रस्त लोगों को नजदीकी अस्तपताल में ट्रीटमेंट मिल सके, उसके लिए 50,000 फ्री किट ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था की गई है। ... (व्यवधान) सभी टोल प्लाजों पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। जहां कहीं से भी कॉल के माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन आती है, तो तुरंत ही वहां पर मेडिकल वैन (एम्बुलेंस वैन) पहुंच जाती है और दुर्घटनाग्रस्त लोगों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचा दिया जाता है। ... (व्यवधान) ऐसी स्थिति में कई लोग अपने ऑर्गन डोनेशन की भी बात करते

हैं। उस स्थिति में वहां से उनका ऑर्गन डोनेट किया जा सके, उसके लिए कोशिश हो रही है और व्यवस्था बनाई जा रही है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर धीरे-धीरे इम्प्रूव हो रहा है। ... (व्यवधान) पिछले 6-7 सालों में जो प्रयास हुए हैं, पिछले साल हेल्थ बजट भी लगभग ढाई गुना बढ़ाया गया है। ... (व्यवधान) इस पूरे बजट का उपयोग करके आगे आने वाले दिनों में देश में हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर अच्छा और व्यवस्थित बन सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मनीष तिवारी जी, आपने एक चिट्ठी लिखी थी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

[अनुवाद]

पूर्वाह्न 11.34 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[3]प्रश्नों के लिखित उत्तर
(तारांकित प्रश्न संख्या 166 से 180 तक
अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 से 2070)

[3] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल *पीठासीन हुए*)

… (व्यवधान)

अपराह्न 12.0 ½ बजे

इस समय, श्री गौरव गोगोई, श्री बैन्नी बेहनन, श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य पटल के निकट आकर फर्श पर खड़े हो गए।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

<u>अपराह्न 12.01 बजे</u>

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे - आइटम 2 से 5.

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

… (<u>व्यवधान</u>)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया ,देखिए संख्या एल.टी.4417/17/21]

(3) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया,देखिए संख्या एल.टी.4418/17/21]

(5) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 22 के अंतर्गत केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 जो 17 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 416(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया,देखिए संख्या एल.टी.4419/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग अध्यादेश, 2021 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 1687(अ) जो 23 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित शक्तियों और कृत्यों के अनुप्रयोग के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग अध्यादेश, 2021 के नाम से एक निकाय का गठन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया,देखिए संख्या एल.टी.4420/17/21]

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6 और 25 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 4259(अ) जो 27 नवंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उसमें उल्लिखित संघटन के साथ 'पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए शीर्षस्थ समिति' के गठन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखा गया , देखिए संख्या एल.टी. 4421/17/21)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया,देखिए संख्या एल.टी.4422/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, डॉ. भारती प्रवीण पवार जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) दूसरा संशोधन विनियम, 2019 जो 9 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. मानक/एफएंडवीपी/अधिसूचना(07)/एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) दसवां संशोधन विनियम, 2020 जो 29 दिसंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति/अधिसूचना/2010-एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पहला संशोधन विनियम, 2021 जो 4 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति/अधिसूचना/27/2010-एफएसएसएआई(ई) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) दूसरा संशोधन विनियम, 2021 जो 19 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. मानक/ओएंडएफ/अधिसूचना(5)/एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) सातवां संशोधन विनियम, 2020 जो 16 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. मानक/ओएंडएफ/अधिसूचना(5)/एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया,देखिए संख्या एल.टी.4423/17/21]

(3) (एक) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 4424/17/21)

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

<u>अपराह्न 12.01 बजे</u>

राज्य सभा से संदेश

महासचिव:महोदय, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देना चाहता हूँ:-

> "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसार, मुझे लोक सभा को सूचित करने का निदेश दिया गया है कि राज्य सभा ने 29 जुलाई, 2021 को हुई अपनी बैठक में फेक्टर विनयमन (संशोधन) विधेयक , 2021 को किसी संशोधन के बिना सहमति दी है , जिसे लोक सभा द्वारा 26 जुलाई, 2021 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया था"

… (*व्यवधान*)

अपराह्न 12.02 बजे

कार्य मंत्रणा समिति
23वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय सभापति महोदय, मेरे वरिष्ठ साथी श्री प्रहलाद जोशी की ओर से, मैं कार्य मंत्रणा समिति का तेईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

… (*व्यवधान*)

अपराह्न 12.02 1/4 बजे

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति
प्रथम से तीसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्रीमती अपराजिता सारंगी (भुवनेश्वर): सभापति महोदय, मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

<u>अपराह्न 12.02 ½ बजे</u>

<u>मंत्री द्वारा वक्तव्य</u>

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों (2021-22) पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 344वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।*

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री, और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों (2021-22) पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 344वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

… (*व्यवधान*)

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया , देखिए सं.एल टी 4416/17/21

<u>अपराह्न 12.03 बजे</u>

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से, मैं यह घोषित करता हूं कि सोमवार, 2 अगस्त, 2021 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य में निम्नलिखित मदें शामिल हो सकती हैं:-

1. भारत के राष्ट्रपति द्वारा 13 अप्रैल, 2021 को प्रख्यापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और सलंग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और सलंग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग विधेयक, 2021 पर विचार तथा पारित करना।
2. भारत के राष्ट्रपति द्वारा 30 जून, 2021 को प्रख्यापित आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 7) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा एवं आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021 पर विचार तथा पारित करना।

3. भारत के राष्ट्रपति द्वारा 4 अप्रैल, 2021 को प्रख्यापित अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और अधिकरण सुधार विधेयक , 2021 पर विचार और पारित करना ।

4. निम्नलिखित विधेयकों पर पुर:स्थापन के पश्चात विचार तथा पारित किया जाना:-

1. साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 ।
2. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2021 ।
3. निम्नलिखित विधेयकों के राज्य सभा द्वारा पारित होने के पश्चात् उन *पर विचार और पारित किया जाना :-*
    1. नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2021
    2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2021
    3. सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021.
    4. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.05 बजे</u>

<u>सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित</u>

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग विधेयक, 2021[4]

माननीय सभापति : मद सं. 11, श्री भूपेन्द्र यादव।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित समस्याओं में बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग का गठन करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए । ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित समस्याओं के संबंध में बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग का गठन करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

श्री भूपेन्द्र यादव: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

[4] भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग-दो , खण्ड-2 , दिनांक 30.07.21 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

<u>अपराह्न 12.05 ½ बजे</u>

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग अध्यादेश, 2021 के बारे में वक्तव्य*

माननीय सभापति: मद सं. 12, श्री भूपेन्द्र यादव जी।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव): महोदय, मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग अध्यादेश, 2021(2021 की संख्यांक 4) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया , देखिए सं.एल टी 4416 ए/17/21

<u>अपराह्न 12.06 बजे</u>

<u>सरकारी विधेयक- पुरःस्थापित ...जारी</u>
(2) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण)
संशोधन विधेयक, 2021*

माननीय सभापति: मद सं. 13 – श्रीमती निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापति करने की अनुमति दी जाए। (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

… (<u>व्यवधान</u>)

[अनुवाद]

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन।

… (*व्यवधान*)

---

* भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग-दो , खण्ड-2 , दिनांक 30.07.21 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदय, सदन में व्यवस्था नहीं है। मैं इस विधेयक का पूरा विरोध करता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से सदन व्यवस्थित नहीं है। चूंकि यह सामान्य बीमा कंपनी का पूर्ण निजीकरण है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। … (*व्यवधान*) विधेयक अस्पष्ट, अनिश्चित, संदिग्ध है और यह मूल अधिनियम के अनुरूप भी नहीं है। यदि हम वर्ष 1972 के अधिनियम की जांच करें तो वह पूर्ण राष्ट्रीयकरण है लेकिन यहां यह पूर्ण निजीकरण है। इसलिए मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं। … (*व्यवधान*)

मैं सरकार से विधेयक को वापस लेने का आग्रह करता हूँ। इसके अलावा, इस शोर-शराबे के दौरान, मैं अपनी बात को रखने में सक्षम नहीं हूं क्योंकि सदन में अव्यवस्था है। साधारण बीमा कंपनी के निजीकरण जैसा महत्वपूर्ण विधेयक सदन में तब प्रस्तुत किया जा रहा है जब सदन में व्यवस्था की कमी है। … (*व्यवधान*) ज्यादातर सदस्य सदन के बीचो-बीच आ चुके हैं। इसलिए, जहां तक सरकार का संबंध है, इस तरह का विधेयक प्रस्तुत करना उचित नहीं है। इसलिए, विधेयक के पुर:स्थापन को स्थगित किया जाए। यह मेरा निवेदन है और मैं विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं। … (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: श्री कोडिकुन्नील सुरेश।

… (*व्यवधान*)

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): महोदय, चूंकि सदन में व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करता हूँ कि इस विधेयक को वापस लें।

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय जी।

… (*व्यवधान*)

माननीय सभापति : श्री हिबी ईडन, वे सदन के बीचो-बीच हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: श्री अधीर रंजन चौधरी।

[हिन्दी]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, शुरू के दिन से हम यह मांग करते आ रहे हैं कि हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले पेगासस जासूसी काण्ड पर चर्चा शुरू की जाए। ... (व्यवधान) हम हर मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : नहीं, आप विधेयक के बारे में बोलिए।

श्री संतोख सिंह चौधरी।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : यह सरकार क्यों डरती है? पेगासस जासूसी काण्ड के बारे में चर्चा हो। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री संतोख सिंह चौधरी, केवल बिल के बारे में बोलिए।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर): महोदय, सदन में व्यवस्था नहीं है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। साथ ही यह बेहद खतरनाक विधेयक भी है।**[हिन्दी]** इससे ये लोग इंश्योरेंस कंपनियों को विदेशी हाथों में देना चाहते हैं और बीमा के कल्याणकारी प्रावधान को खत्म करना चाहते हैं।

सर, सदन में व्यवस्था नहीं है। मेरी यह रिक्वेस्ट है कि इसको विदड्रा किया जाए। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ रिस्पांड करना चाहती हैं?

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदय, मैंने श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन और अन्य माननीय सदस्यों द्वारा की जा रही टिप्पणियों को गंभीरता से सुना। … (*व्यवधान*) हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि सदन व्यवस्थित रहे। हां, मैं भी चाहती हूं कि सदन इस विधेयक पर चर्चा करे। मैं यह भी चाहती हूं कि माननीय सदस्य भी इस प्रकार के विधेयक के महत्व को समझते हुए वाद-विवाद में भाग लें। … (*व्यवधान*)

तथापि, मैं अब भी यह कहना चाहती हूँ कि सदस्यों द्वारा बताई गई आशंकाएँ बिल्कुल भी उचित नहीं हैं। हम इसका निजीकरण करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। … (*व्यवधान*) हम निश्चित रूप से कुछ समर्थकारी प्रावधान ला रहे हैं ताकि सरकार साधारण बीमा कंपनी में सार्वजनिक भागीदारी, भारतीय नागरिकों की भागीदारी, आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर सके। साधारण बीमा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी से हमें अधिक संसाधन मिलने में ही मदद मिलेगी।

अब हम अपने बाज़ार से इन संसाधनों को क्यों जुटाना चाहते हैं? . . . *(व्यवधान)* हमारे बाज़ार उन खुदरा प्रतिभागियों से धन जुटा सकते हैं जो भारतीय नागरिक हैं। इसके माध्यम से, हम धन की अधिक आपूर्ति कर सकते हैं, प्रौद्योगिकी का अधिक समावेश कर सकते हैं, और भारत में ऐसी सामान्य बीमा कंपनियों के तेजी से विकास को भी सक्षम कर सकते हैं। *....(व्यवधान)* इन्हें चलाने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता है। सरकार सार्वजनिक भागीदारी की अनुमति नहीं दे रही है, जिसका अर्थ है भारतीय नागरिकों की भागीदारी, इन कंपनियों के लिए धन की उपलब्धता को प्रतिबंधित कर रही है। इसलिए, हमें इस विधेयक को पारित करना होगा। *... (व्यवधान)*

यदि आप निजी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों की तुलना करते हैं, तो उनकी पैठ अधिक है, वे बाज़ारों से अधिक धन जुटाते हैं और इसलिए, बीमा लेने वाले लोगों को बेहतर प्रीमियम देते हैं। *....(व्यवधान)* उनके पास जनता के लिए बेहतर नवीन पैकेज भी हैं, जबकि सार्वजनिक सामान्य बीमा कंपनियां ऐसा प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि उनके पास हमेशा संसाधनों की कमी होती है। इसलिए, मैं दृढ़तापूर्वक अनुरोध करती हूं कि सदन इसे पारित करने पर विचार करे। *... (व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण:महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

... (व्यवधान)

अपराह्न12.12 बजे

नियम 377 के अधीन मामले[5]

[हिन्दी]

माननीय सभापति : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम **377** के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामले के अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

(एक) राजस्थान के उदयपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): राजस्थान के उदयपुर लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में।

---

[5] सभा पटल पर रखे गए माने गए।

(दो) राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली से भगवान बुद्ध का 'अस्थि कलश' उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिला स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय, कपिलवस्तु में स्थानांतरित किए जाने तथा बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए कपिलवस्तु में एक ध्यान केन्द्र भी बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): हमारे संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज सिद्धार्थनगर के पिपरहवा कपिलवस्तु में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में भगवान गौतम बुद्ध के अस्थिकलश रखे जाने की मांग को उठाते हुए कहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर में बौद्ध धर्म के मानने वाले लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष कपिलवस्तु आने में अपना सौभाग्य मानते हैं | कपिलवस्तु में पर्यटक आने के बाद वहाँ के इतिहास को जानने की जिज्ञासा रखते हैं | इसी क्रम में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना पिपरहवा कपिलवस्तु में की हैं | उसके अंतर्गत कपिलवस्तु में पुरातत्व विभाग एवं कोलकाता विश्वविध्यालय के समस्त खुदाई से प्राप्त वस्तुओं को उक्त संग्रहालय में रखा गया है | लेकिन यहाँ से खुदाई में प्राप्त दो अस्थिकलश वर्तमान समय में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखे हुए है, जबकि गौतम बुद्ध ने जीवन के प्रारम्भिक 29 वर्ष कपिलवस्तु में ही व्यतीत किये थे | इसलिए बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए कपिलवस्तु अत्यंत महत्वपूर्ण है | यदि एक अस्थिकलश वहाँ से राष्ट्रीय संग्रहालय पिपरहवा, कपिलवस्तु में स्थित कर दिया जाय तो बौध धर्म को मानने वाले लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष सारनाथ, कपिलवस्तु, कुशीनगर एवं श्रावस्ती के साथ साथ अस्थिकलश के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे जिससे देश एवं प्रदेश को काफी विदेशी मुद्रा से राजस्व में वृद्धि होगी | ध्यान लगाना बुद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है इसलिए बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए संग्रहालय के पास एक ध्यान केंद्र होना भी आवश्यक है | अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि भगवान बुद्ध का एक अस्थिकलश राष्ट्रीय संग्रहालय कपिलवस्तु में उपलब्ध करने हेतु

भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग को निर्देशित करें और बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए एक ध्यान केंद्र की स्थापना करवाने की कृपा करें |

[अनुवाद]

(तीन) राजस्थान स्थित आंगनवाड़ी केन्द्रों में 'चना' की आपूर्ति के बारे में

[हिन्दी]

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान लगभग 10 महीने पहले असहाय गराब एवं जरूरतमंदो को संबल देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 19963 मीट्रिक टन और आत्मनिर्भर योजना में 3970 मीट्रिक टन साबुत चना दिया था और इसके साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्ड-धारियों को भी एक-एक किलो चना दिया गया था।

राजस्थान में पिछले लॉकडाउन में केन्द्र सरकार की ओर से भेजे गए चने को अब तक भी नहीं बांटा गया है और जब इस चने को 10 माह के बाद राजस्थान में लगभग 15 जिलों के आंगनवाड़ी केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को ऐसे चने बांटने का आदेश जारी किया है, जिन्हें जानवर भी नहीं खा सकते हैं। आप कल्पना कर सकते है कि 10 महीने तक यह चना राशन डीलरों के गोदामों में पड़ा था। जब वह खाने योग्य नहीं रहा उस चने को बांटा जा रहा है!

आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम पर ऊपर से ही यही चना बांटने का दबाव है। राजस्थान के तमाम समाचार पत्रों में इस खबर को प्रकाशित किया जा रहा है।

मेरा सरकार से यही आग्रह है कि इस मामले में जिस स्तर पर भी लापरवाही हुई है उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये ताकि भविष्य में गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो साथ ही आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रकरण की

एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर जांच कराई जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि केन्द्रीय योजनाओं का लाभ समाज में अंतिम छोर तक निवास करने वाले हर जरूरतमंद तक पहुंचे।

[अनुवाद]

(चार) ओडिशा के बालासोर में खारा जल शोधन संयंत्र स्थापित किए जाने के बारे में

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी (बालासोर): ओडिशा राज्य का बालासोर बार-बार आने वाली बाढ़ और चक्रवात से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है, जिससे समुद्र से सटे इलाकों में प्रभावित आवासों में पीने योग्य पानी की उपलब्धता बाधित हो रही है। चक्रवात और बाढ़ के दौरान समुद्री जल में ज्यादा पानी आने के कारण कई दिनों तक जलभराव रहता है जिससे पीने के पानी की समस्या बढ़ जाती है क्योंकि कुएं/ट्यूबवेल के जल स्रोत सहित जल निकाय खारे हो जाते हैं।

बालासोर जिले में तटीय आवासों में पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिए खारे पानी के शोधन की आवश्यकता है। मैं जल शक्ति मंत्रालय से एक सर्वेक्षण करने और व्यापक जनहित में बालासोर तट में खारे जल शोधन संयंत्र स्थापित करने का आग्रह करता हूँ।

(पांच) मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के मलाजखण्ड में स्थापित सी.ओ.टी. प्लांट का प्रचालन प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के अंतर्गत मलाजखंड में एच.सी.एल. (हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड) का कॉपर का खुला खदान पिछले 50-60 वर्षों से संचालित है। खदान से कॉपर के साथ निकालने वाली अन्य धातुओं को पृथक करने हेतु लगभग 200 करोड़ रूपये की लागत से एक निजी कंपनी द्वारा लगभग 10 वर्षों मे सी.ओ.टी. प्लांट लगाया गया है परंतु आज तक इस प्लांट के चालू न होने से प्लांट से जो भी अन्य धातु जेसे लोहा, तांबा, सोना आदि को पृथक-पृथक करने का काम होना था वह नहीं हो पा रहा है और इससे जहां शासन का करोड़ों रुपये की लागत से बना प्लांट बेकार पड़ा है वही प्लांट के चालू न होने से शासन को आर्थिक क्षति हो रही है । इस प्लांट के लगने से मजदूरों और अन्य लोगों को जो काम मिलना था वह बंद है । इस प्लांट के जैसा एक और प्लांट शायद राजस्थान मे भी लगा है वह भी बंद है और इसमें भारी अनियमितताओं के होने की आशंका लगती हैं एवं जानबूझकर शासन का नुकसान कर अन्य लोगों को लाभ पहुचाया जा रहा है। अतः इस संबंध मे पूर्ण जांच करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कष्ट करने के लिए माननीय खान मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

[अनुवाद]

(छह) दिल्ली की कुछ कॉलोनियों को गिराए जाने के खतरे के बारे में

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): मैं सरकार एवं विशेषतः माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जी का ध्यान दिल्ली के कुछ निवासियों की गंभीर समस्याओं की तरफ केन्द्रित करना चाहता हूं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनेकों गाँव स्थित है और गाँव के आसपास गांववासियों की निजी कृषि भूमि स्थित थी। बढ़ते परिवार के कारण गाँववासियों ने अपनी निजी कृषि भूमि पर मकान का निर्माण कर लिया। वहीं दूसरी ओर पूर्व में कौड़ियों के भाव में भूमि अधिग्रहण किया जा रहा था। वहीं अच्छी शिक्षा, चिकित्सा व रोजगार के लिए अनेकों राज्यों से पलायन होने से दिल्ली की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण जिसका गठन दिल्ली में सस्ते दामों पर आवास प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था, वह पूर्व में व्यवसायिक संस्था के रूप में काम कर रही थी। इन्हीं कारणों से निजी कॉलोनाइजर के द्वारा हजारों अनधिकृत कॉलोनियाँ विकसित हो गईं। मेरे संसदीय क्षेत्र में भी ऐसी अनेकों अनियमित कॉलोनियाँ विकसित हुई थीं। वर्ष 1994 में दिनांक 24.05.1994 को दिल्ली सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें रिज की भूमि को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। 26 वर्षों बाद भी आज तक धारा 20 नहीं लायी गयी।

अत्यंत दुख का विषय है कि अधिसूचना जारी करते वक्त अधिकारियों द्वारा सही रूप से सर्वे नहीं किया गया जिसके कारण कई गाँव व कॉलोनियों में 40 वर्षों से स्थित सैंकड़ों घर भी अधिसूचना में डाल दिए गए। वे सभी लोग अधिसूचना के 20 वर्ष पूर्व से वहां रह रहे हैं। सही डिमार्केशन न होने के कारण आज उनका घर दिल्ली रिज में आ गया है। वहाँ के निवासियों को दिल्ली सरकार द्वारा अतिक्रमण बताकर उनके घर तोड़ने का आदेश किया जा रहा है। आज वहां के निवासी भय के

वातावरण में रह रहे हैं। एक तरफ जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी को घर की व्यवस्था सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार द्वारा गलत डिमार्केशन के आधार पर सैकड़ों घरों को अतिक्रमण बताकर तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है।

मेरा माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जी से यह आग्रह है कि वह माननीय एल.जी. साहब को निर्देश दें कि वे शीघ्र एक विशेष कमेटी का गठन कर सही डिमार्केशन करें एवं निजी भूमि पर स्थित मकानों की सुरक्षा की जाए। उन सभी घरों को दिल्ली रिज की सीमा से बाहर किया जाए।

[अनुवाद]

(सात) अम्बाला को भांडागारण केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने के बारे में

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): मैं माननीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि चूंकि जी.एस.टी. बाजार को एकीकृत करता है, इसलिए मेरे अम्बाला लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र में शानदार भांडागारण केन्द्र विकसित किए जाने की काफी संभावनाएं हैं। अम्बाला 0.1 सड़क से बेहतरीन तरीके से जुड़ा है और मोहाली में बेहतरीन रेल सुविधाएं और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है।

एक विशाल निवेश बुनियादी ढांचा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि भारत भर में सड़क, रेल और हवाई मार्गों में समर्पित माल ढुलाई गलियारों (डी.एफ.सी.) जैसे बड़े नियोजित निवेश से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और इसके परिणामस्वरूप भांडागारण की मांग बढ़ेगी। अम्बाला में बुनियादी ढांचे में निवेश से दिल्ली और एन.सी.आर. क्षेत्र पर दबाव कम होगा। उदाहरण के लिए: मेरे लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार कालका है और यहीं से दिल्ली को सभी फलों और सब्जियों की आपूर्ति की जाती है। यदि अम्बाला भांडागारण केन्द्र बनेगा तो हम फलों और सब्जियों को खराब होने से रोक सकते हैं।

इस भांडागारण केन्द्र में यमुनानगर से अम्बाला, पंचकुला से अम्बाला, चंडीगढ़ से अम्बाला, पटियाला से अम्बाला तक के केंद्र शामिल हो सकते हैं। अम्बाला जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तरप्रदेश के लिए 01 सड़क पर एक केंद्रीय स्थल

भी है। चूंकि दिल्ली और एन.सी.आर. क्षेत्र में भूमि की कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचा स्थापित करना बहुत मुश्किल है। चूंकि उपभोग आधारित भांडागारण की मांग तेज गति से बढ़ने की संभावना है, पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग (ई-टेल) के आगमन ने कम से कम समय में वितरण करने के लिए शहरी केंद्रों के नजदीक विशाल गोदामों की आवश्यकता जरूरी हो गई है।

भारत में अग्रणी ई-कॉमर्स कंपनियां और अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी कंपनियां अपनी वितरण में तेजी लाने और प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए अपने गोदाम या आपूर्ति केंद्रों के नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं।

इसलिए , मैं अम्बाला को एक भांडागारण केन्द्र बनाने की मांग करता हूं।

(आठ) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद से छत्तीसगढ़ के बस्तर में अंतरित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दीपक बैजः देश के सर्वाधिक खनिज संपदा वाले छत्तीसगढ़ के (दंतेवाड़ा) बस्तर जिले से करोड़ों-अरबों रुपये का आयरन उत्खनन होता है। भारत सरकार का उपक्रम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएमडीसी) लिमिटेड देश में सबसे अधिक लाभ यहीं से अर्जित करता है। छत्तीसगढ़ सरकार इस उपक्रम के लिए जमीन और वे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराती है जिसकी उसे अवश्यकता रहती है।

आवागमन कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर आजादी के बाद इस उपक्रम का मुख्यालय हैदराबाद बनाया गया था पर अब बस्तर में कनेक्टिविटी के लिहाज से सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस उपक्रम का मुख्यालय बस्तर स्थानांतरित करने हेतु स्थानीय निवासियों की लंबे समय से मांग चली आ रही है क्योंकि उनके दैनिक कार्यों हेतु उन्हें दूरस्थ हैदराबाद जाना पड़ता है।

मेरी मांग है कि एनएमडीसी लिमिटेड का हैदराबाद स्थित मुख्यालय (दंतेवाड़ा) बस्तर जिले में जनहित में स्थानांतरित किया जाए जिससे स्थानीय लोगों को अपने कार्यों के लिए हैदराबाद न जाना पड़े।

[अनुवाद]

(नौ) केरल के अट्टापडी, पालक्काड़ जिले में ऑनलाइन कक्षाओं के प्रयोजनार्थ एफ.टी.टी.एच. कनेक्शन का प्रावधान किए जाने के बारे में

श्री वी. के. श्रीकंदन (पालक्काड़): अट्टापडी केरल के पालक्काड़ जिले में एक तालुका है और वहां रहने वाले अधिकांश लोग आदिवासी हैं। यह अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र है, जहां संचार सुविधाओं का अभाव है। अट्टापडी में खराब अथवा शून्य मोबाइल/इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस तालुका के लगभग 80 प्रतिशत छात्र खराब मोबाइल अथवा इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षाएं में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इस मुद्दे को तुरंत फाइबर टू द हाउस (एफ.टी.टी.एच.) कनेक्शन प्रदान करके हल किया जा सकता है, और इस तरह, छात्र निर्बाध रूप से ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले सकते हैं। मुझे यह बताया गया है कि बी.बी.एन.एल. सार्वभौमिक सामाजिक बाध्यता निधि द्वारा वित्त पोषित कॉमन सर्विस सेंटर वाई-फाई चौपाल परियोजना के अधीन अट्टापडी तालुक में एफ.टी.टी.एच. कनेक्शन प्रदान कर सकता है। इसलिए, मैं सरकार से समयबद्ध आधार पर अट्टापडी में एफ.टी.टी.एच. कनेक्शन प्रदान करने का आग्रह करता हूं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खराब मोबाइल कनेक्टिविटी के कारण छात्रों की शिक्षा प्रभावित न हो।

(दस) टिंडीवनम-तिरुवन्नामलाई नई बड़ी रेल लाइन परियोजना कार्य में तेजी लाए जाने के बारे में

श्री सी. एन. अन्नादुरई (तिरुवन्नामलाई): मैं टिंडीवनम-तिरुवन्नामलाई नई बड़ी रेल लाइन परियोजना के काम में तेजी लाने के संबंध में लोक महत्व का एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। यह परियोजना आध्यात्मिक पर्यटन की संभावना के कारण समग्र क्षेत्र के विकास को बढ़ाएगी क्योंकि तिरुवन्नमलाई में विश्व प्रसिद्ध भगवान अरुणाचलेश्वर शिव मंदिर भगवान शिव और गिरिवलम का दर्शन करने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आते हैं।

उक्त परियोजना काफी समय पहले शुरू हुई थी लेकिन दुर्भाग्य से इसमें नियत समय से अधिक समय लग रहा है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि परियोजना के लिए पर्याप्त निधि निर्धारित की जाए और तिरुवन्नामलाई नई बड़ी रेल लाइन परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए परियोजना कार्य में तेजी लाने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों से संपर्क किया जाए।

मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे जनहित में उक्त परियोजना को बिना किसी देरी के पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करें।

(ग्यारह) खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के बीच डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर (डी.एफ.सी.) के निर्माण के बारे में

श्रीमती चिंता अनुराधा (अमलापुरम): जैसा कि आप जानते हैं, डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर (डी.एफ.सी.) रेलवे नेटवर्क की बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करके , संभार-तंत्र लागत को कम करने के साथ-साथ माल ढुलाई की गति को बढ़ाकर माननीय प्रधान मंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

केंद्रीय बजट 2021 में रेलवे की अवसंरचना के लिए आवंटित 1,01,055 करोड़ रुपये के बजट के भाग के रूप में और भारतीय रेल के प्रस्ताव (2014-2015 में प्रस्तावित) को स्वीकार करते हुए, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल के खड़गपुर और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के बीच पूर्वी तट पर 1115 किलोमीटर की लंबाई का डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर (डी.एफ.सी.) का काम जून 2022 तक पूरा हो जाएगा और सभी डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर का विद्युतीकरण वर्ष 2023 तक पूरा हो जाएगा। दुर्भाग्यवश, अज्ञात कारणों से यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है।

प्रस्ताविक डी.एफ.सी. देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के औद्योगिक क्षेत्रों को ओडिशा में पारादीप, धामरा, गोपालपुर बंदरगाहों और आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, गंगावरम, काकीनाडा, कृष्णापट्टनम और मछलीपट्टनम बंदरगाहों जैसे प्रमुख बंदरगाहों के माध्यम से दक्षिण भारत से जोड़ेगा, जिससे माल की तेज आवाजाही सुनिश्चित होगी और रेलवे नेटवर्क के अति-संतृप्त खंडों में क्षमता वृद्धि और ओडिशा के साथ-साथ आंध्र प्रदेश के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे माल परिवहन की लागत कम करने में भी मदद मिलेगी क्योंकि ईंधन की खपत कम होगी और बड़ी से बड़ी ट्रेन इन मार्गों पर चल

सकेगी। आंध्र प्रदेश में बनाए जा रहे चार बंदरगाहों से अधिकारियों ने पहले अनुमान लगाया था कि डी.एफ.सी. वर्ष 2024-25 तक 300-350 मीट्रिक टन कार्गो को संभलाई में मदद करेगा।

इसलिए, मैं इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष रखते हुए आग्रह करता हूँ कि इस काम की व्यवहार्यता रिपोर्ट तथा संरेखण, भूमि आवश्यकता, यातायात अनुमान के बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कदम उठाए जाएं, और इसे जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए।

(बारह) आंगनवाड़ी कर्मकारों की स्थिति में सुधार लाए जाने के बारे में

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महामारी फैलने के बाद से अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मकारों के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का महत्व काफी बढ़ गया है। काम के अतिरिक्त बोझ के बावजूद उनके वेतन में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि नहीं हुई है जिससे उनकी क्षतिपूर्ति की जा सके। यह इस तथ्य से जुड़ा हुआ है कि इन श्रमिकों को मानद् कर्मकार के रूप में नामित किया गया है और उन्हें मासिक मानदेय प्रदान किया जाता है, और इसलिए न्यूनतम मजदूरी का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं हैं।

भारत के 7वें वेतन आयोग द्वारा कुशल श्रमिकों के लिए मासिक वेतन दर 18,000 रुपये तय करने का अधिदेश दिए जाने के बावजूद, उन्हें इतनी रकम मिल नहीं पाती है । अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता होने के नाते, उन्हें पर्याप्त सुरक्षात्मक साधनों के बिना महामारी को नियंत्रित करने के लिए निगरानी कर्तव्यों का पालन करना पड़ा क्योंकि संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों के बावजूद उन्हें कम जोखिम वाले श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इस प्रकार, मैं सरकार से उनकी स्थिति में सुधार करने और कुशल श्रमिकों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने का आग्रह करता हूं।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवा के बारे में

[हिन्दी]

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के बलरामपुर / श्रावस्ती वासियों के लिए नई ट्रेनों का संचालन, ठहराव किया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

1. एक नई इण्टर सिटी एक्सप्रेस गाड़ी लखनऊ सुबह समय 05 बजे से 06 के बीच में गोण्डा वाया बलरामपुर होते हुए गोरखपुर तक एवं बलरामपुर होते हुए सायं 04बजे से 05 के बीच लखनऊ तक चलायी जाये।
2. एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव जनपद के विभिन्न रेलवे स्टेशन गैंसड़ी, कौवापुर, एवं झारखण्डी रेलवे स्टेशन पर किया जाए।
3. भवरिया क्रासिन पर अण्डर पास मार्ग का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।
4. झारखण्डी क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज की स्थापना किया जाए।
5. बलरामपुर से मुंबई के लिए अप और डाउन एक नई ट्रेन चलाई जाए।
6. बहराइच, बलरामपुर खलीलाबाद नई रेल लाइन की क्या प्रगति है एवं कार्य कब तक पूरा हो जायेगा।

माननीय सभापति : कृपया आप सब बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप सब अपने-अपने स्थान पर जाकर बैठ जाइए और चर्चा होने दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आज नियम 193 के तहत भी चर्चा है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप जिन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, वे विषय आज लिस्टेड हैं। कोरोना पर चर्चा अपेक्षित है। बहुत महत्वपूर्ण बिल इन्ट्रोड्यूस हुआ है, उस पर बहस होनी है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया चर्चा में भाग लें। कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 2 अगस्त, 2021 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.13 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 2 अगस्त, 2021 / 11 श्रावण ,1943 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2021 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित